24/4/25 वकील वादी व पेशकार राज उपरो वाद प्रस्तुत किये जाने के पश्चात वकील वादी द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया है बार बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी वकील वादी द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु रजि. नोटिस पेश नहीं किये गये है अतः वादी का वाद तलबी के अभाव में खारिज किया जाता है पत्रावली फैसला शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।